क्रम संख्या–01(क) पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2009 ई0
पौष 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 01/XXXVI(3)/14/2008
देहरादून, 01 जनवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008' पर दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम सं0 01, वर्ष 2009 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2008

(अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 26 के उपरांत एक नई धारा का अन्तः स्थापन

2–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26(क) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

अनधिकृत अथवा अवैध विकास को सीलबन्द करने की शक्ति

26(क) (एक) यथास्थिति अध्यक्ष या उनके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि धारा 25 और धारा 26 के अधीन किसी विकास क्षेत्र में किसी अनधिकृत अथवा अवैध विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे अनधिकृत अथवा अवैध विकास को सील बन्द करने के निर्देश देते हुए कोई आदेश दे सकेगा।

(दो) जहाँ कोई अनधिकृत अथवा अवैध विकास सीलबन्द कर दिया जाय, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने अथवा रोकने के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता है।

(तीन) अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के सिवाय, कोई व्यक्ति ऐसी सील को नहीं हटायेगा।

(चार) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा और आयुक्त अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Special Area Development Authority Act, 1986) Adaptation and Modification Order, 2006 (Amendment) Bill, 2008' (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 01 of 2009) :--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 30, 2008.

No. 01/XXXVI(3)/14/2008
Dated Dehradun, January 01, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1986) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2006 (AMENDMENT) ACT, 2008

(ACT No. 01 OF 2009)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Special Area Development Authority Act, 1986) Adaptation and Modification Order, 2006 for the State of Uttarakhand.

AN

Act

Be it enacted in the Fifty Ninth year of the Republic of India as follows :--

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Special Area Development Authority Act, 1986) Adaptation and Modification Order, 2006 (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of new section 26(A) after section 26

2. After the section 26 of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Special Area Development Authority Act, 1986) Adaptation and Modification Order, 2006 hereinafter referred to as Principal Act, a new section 26(A) shall be inserted, namely :--

Power to seal unauthorized development

26(A) (i) It shall be lawful for the Chairman or an Officer empowered by him in this behalf, as the case may be, at any time before or after making an order for the removal or discontinuation of any development under section 25 or 26, to make any order directing the sealing of such development in development area in such manner as may be prescribed for the purposes of carrying out the provisions of this Act.

(ii) Where any development has been sealed the Chairman or the Officer empowered by him in this behalf, as the case may be, may, for the puposes of removing or discontinuing such development order the seal to be removed.

(iii) No person shall remove such seal except under an order made under sub-section (2) by the Chairman or the Officer empowered by him in this behalf.

(iv) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may appeal to the Commissioner against that order within thirty days from the date thereof and the Commissioner may after hearing the parties to the appeal, either allow or dismiss the appeal and his decision shall be final.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 विधायी/29–2009–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।